

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2015/ कार्तिक 7, 1937

No. 664] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2015/ KARTIKA 7, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2015

सा.का.िन. 814(अ).-केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लिक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
 - 2. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में, -
 - (i) खंड 3 में,-
 - (क) उपखंड (2) में, मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-
 - "(i) अंत्योदय गृहस्थियाँ ;";
 - (ख) उपखंड (3) के परंतुक का लोप किया जाएगा ; और
 - (ग) उपखंड (4) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 9(4)/2012-पी डी.-II] दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि. सं. 213(अ) तारीख, 20 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

4602 GI/2015 (1)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Food and Public Distribution) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2015

G.S.R.814 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, to amend the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, namely: -

- **1. Short title, and commencement.** (1) This Order may be called the Targeted Public Distribution System (Control) Amendment Order, 2015.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015,-
 - (i) In clause 3,-
 - (a) in sub-clause (2), for item (i), the following shall be substituted, namely:"(i) Antyodaya households;";
 - (b) proviso to sub-clause (3) shall be deleted; and
 - (c) sub-clause (4) shall be deleted.

[F.No. 9(4)/2012-PD.II] DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

Footnote:-The principal Order was published in the Gazette Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. number 213(E) dated 20th March, 2015.